

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:-

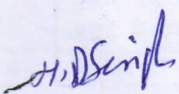
राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.350 हे० वनपंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे० कुल 0.370 हे० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग की स्वीकृत शासनादेश संख्या 2380/111(2)/16-06 (एम०एल०ए०)/2015 दिनांक 31.08.2016 द्वारा 3.00 कि०मी० लम्बाई हेतु लागत रु० 30.00 लाख की प्राप्त हुई हैं। प्रस्तावित मोटर मार्ग कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग के कि०मी० 28.00 से प्रारम्भ हो कर ग्राम धानई तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम देवलगढसारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र यातायात से जुड़ जायेगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम वन पंचायत भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

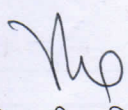
1-वन पंचायत भूमि 0.500 कि०मी० x 7 मी०	=	0.350 हे०
2-नाप भूमि 0.700 कि०मी० x 7मी०	=	0.490 हे०
3-मक डिस्पोजल हेतु	=	0.020 हे०
योग	=	0.860 हे० ।

अतः मार्ग निर्माण हेतु 0.350 हे० वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.020 हे० कुल 0.370 हे० वन पंचायत भूमि का प्रस्ताव गठित कर लो०नि०वि० को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर